

शहरी विकास मंत्रालय

मांग संख्या 104

लोक निर्माण कार्य

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

		वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015			
मुख्य शीर्ष		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
		राजस्व	11.33	1348.02	1359.35	25.00	1389.32	1414.32	25.00	1309.92	1334.92	18.10	1430.80	1448.90
		पूँजी	159.75	327.87	487.62	229.40	329.40	558.80	145.00	447.86	592.86	458.21	374.66	832.87
		जोड़	171.08	1675.89	1846.97	254.40	1718.72	1973.12	170.00	1757.78	1927.78	476.31	1805.46	2281.77
1.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	2059	11.33	705.62	716.95	25.00	706.29	731.29	25.00	699.92	724.92	18.10	777.74	795.84
2.	लघु निर्माण कार्यों सहित रख-रखाव और मरम्मत	2059	...	624.90	624.90	...	661.15	661.15	...	588.16	588.16	...	627.53	627.53
3.	कार्यालय इमारतों का निर्माण													
3.01	लेखा-परीक्षा	4059	...	75.00	75.00	...	75.00	75.00	...	75.00	75.00	...	29.21	29.21
3.02	वित्त (राजस्व)	4059	...	130.40	130.40	...	129.55	129.55	...	129.55	129.55	...	142.19	142.19
3.03	गृह	4059	...	5.39	5.39	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	0.49	0.49
3.04	शहरी विकास	4059	112.44	29.64	142.08	125.00	30.00	155.00	103.00	28.00	131.00	331.16	14.92	346.08
3.05	लेखन सामग्री और मुद्रण	4059	...	3.50	3.50	...	3.50	3.50	...	2.00	2.00	...	1.78	1.78
3.06	कार्मिक तथा प्रशिक्षण	4059	...	16.00	16.00	...	15.00	15.00	...	17.50	17.50	...	16.83	16.83
3.07	खान	4059	10.53	...	10.53	13.00	...	13.00	7.00	...	7.00	83.00	...	83.00
3.08	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	4059	1.45	...	1.45	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
3.09	लोक सभा	4059	...	43.23	43.23	...	44.25	44.25	...	94.25	94.25	...	56.64	56.64
3.10	विदेशी मामले	4059	...	0.08	0.08	...	0.55	0.55	...	0.55	0.55	...	0.25	0.25
3.11	उच्चतम न्यायालय	4059	...	24.63	24.63	...	25.00	25.00	...	95.00	95.00	...	109.85	109.85
3.12	व्यय विभाग	4059	0.55	0.55	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
3.13	राज्य सभा	4059	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	2.49	2.49
	जोड़- कार्यालय इमारतों का निर्माण		124.42	327.87	452.29	140.00	329.40	469.40	112.00	447.86	559.86	414.16	374.66	788.82
4.	अन्य गैर रिहायशी इमारतों का निर्माण													
4.01	उच्चतर शिक्षा	4202	8.02	...	8.02	12.00	...	12.00	5.00	...	5.00
4.02	श्रम और रोजगार	4250	23.17	...	23.17	71.40	...	71.40	22.00	...	22.00	37.05	...	37.05
4.03	पोत परिवहन	5052	4.14	...	4.14	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	7.00	...	7.00
	जोड़- अन्य गैर रिहायशी इमारतों का निर्माण		35.33	...	35.33	89.40	...	89.40	33.00	...	33.00	44.05	...	44.05
5.	अन्य संगठन	2059	...	17.64	17.64	...	21.88	21.88	...	21.84	21.84	...	25.53	25.53

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
6. वास्तविक वसूलियां	2059	...	-0.14	-0.14	
कुल जोड़		171.08	1675.89	1846.97	254.40	1718.72	1973.12	170.00	1757.78	1927.78	476.31	1805.46	2281.77
	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़
ग. योजना परिव्यय*													
1. लोक निर्माण कार्य	32059	123.77	...	123.77	150.00	...	150.00	128.00	...	128.00	349.26	...	349.26
<i>*इस मांग में शामिल अन्य मंत्रालयों/मांगों के संबंध में निर्माण कार्यों के परिव्यय को छोड़कर</i>	32059	47.31	...	47.31	104.40	...	104.40	42.00	...	42.00	127.05	...	127.05

1. यह प्रावधान केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के लिए है जो केंद्र सरकार के समस्त सरकारी रिहायशी भवनों और गैर-रिहायशी भवनों का डिजाइन तैयार करने, उनका निर्माण और रख-रखाव करने के लिए एक प्रमुख अभिकरण है.

2. इसके अंतर्गत विभिन्न सरकारी विभागों से संबंध गैर-रिहायशी भवनों, और अन्य बड़े और छोटे निर्माण कार्यों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए प्रावधान किया गया है.

3. इसमें विभिन्न मंत्रालयों / विभागों की ओर से केंद्रीय लोक निर्माण द्वारा कार्यालय भवनों के निर्माण के लिए प्रावधान किया गया है.

4. इसमें विभिन्न मंत्रालयों / विभागों की ओर से केंद्रीय लोक निर्माण द्वारा अन्य गैर - रिहायशी भवनों के निर्माण के लिए प्रावधान किया गया है.

5. इसमें भूमि तथा विकास कार्यालय के स्थापना व्यय और राजघाट समाधि समिति को अनुदान सहायता के लिए तथा राष्ट्रीय महत्व की अन्य प्रमुख समाधियों के रखरखाव, रखवाली तथा सुरक्षा हेतु प्रावधान शामिल किया गया है। यह भूमि तथा विकास कार्यालय दिल्ली में पुनर्वास विभाग द्वारा अंतरित नजूल भूमि पट्टों और पुनर्वास पट्टों के प्रशासन के लिए भी जिम्मेदार है.